प्रेस नोट दिनांक 22.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 22.04.2026
थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग के अभियोग से संबंधित 01 नफर अभियुक्त पीसीआर प्राप्तशुदा की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 7.65 बोर मय मैगजीन व 01 अदद कारतूस जिन्दा KF 7.65 बोर बरामद -

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम हर्रईपट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ अपनी किराना गुमटी पर बैठा था, तभी दो मोटरसाइकिलों से आए 5 अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई अमित के बारे में पूछताछ कर दुकान का सामान फेंककर नुकसान किया तथा ₹10,000 की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। प्रार्थी के अनुसार उक्त घटना ध्रुव तिवारी निवासी सौराई थाना आसपुर देवसरा द्वारा अपने साथियों के साथ पूर्व विवाद के चलते कराई गई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-99/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/190324(2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित यादव मय हमराह उ0नि0 श्रीप्रकाश राय, का० विवेक यादव, का० राघवेन्द्र यादव, चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी द्वारा थाना पट्टी के मु0अ0सं0-99/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/190, 324(2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 से संबंधित पीसीआर प्राप्तशुदा 01 अभियुक्त गब्बर उर्फ दिव्यांशु दुबे पुत्र संजय दुबे निवासी ग्राम लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 7.65 बोर मय मैगजीन व 01 अदद कारतूस जिन्दा KF 7.65 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल 7.65 बोर मय मैगजीन व 01 अदद कारतूस जिन्दा KF 7.65 बोर की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी के मु0अ0सं0-99/2026 धारा

191 (2)/191 (3)/190324(2)/308 (5)/352/351 (3)/288 बी0एन0एस0 में धारा 3/25/ 27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अभियुक्त गब्बर उर्फ दिव्यांशु दुबे पुत्र संजय दुबे निवासी ग्राम लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।

आपराधिक इतिहास (Criminal History):-
1-गब्बर उर्फ दिव्यांशु दुबे पुत्र संजय दुबे निवासी ग्राम लच्छीपट्टी थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।
1. मु0अ0सं0 90/2021 धारा 392/411 IPC थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर।
2. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/324(2)/308(5)/352/351(3)/288 BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01अदद पिस्टल 7.65 बोर मय मैगजीन व 01 अदद कारतूस जिन्दा KF 7.65 बोर ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 रोहित यादव मय हमराह उ0नि0 श्रीप्रकाश राय, का० विवेक यादव, का० राघवेन्द्र यादव, चालक हे0का0 मुकेश त्रिपाठी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 22.04.2026
थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 03 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त प्रेमचन्द्र गौतम को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्तों को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ऐलाही पुलिया के साप, ग्राम ऐलाही के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा

श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 जावेद अहमद खां मय हमराह उ0नि0 जयकिशुन यादव का0 कैलाश यादव, का0 नीरज पटेल द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गतऐलाही पुलिया के साप, ग्राम ऐलाही के पास से 01 अभियुक्त प्रेमचन्द्र गौतम पुत्र प्यारेलाल गौतम निवासी पीथापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को 03 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त प्रेमचन्द्र गौतम के पास से 03 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 90/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरी गांव में कई लोगों से दुश्मनी है इसलिए अपनी सुरक्षा हेतु अवैध देशी बम लेकर चलता हूं कि यदि कोई पकड़ने का प्रयास करे तो उसे बम मार देंगे तथा कल शाम को हमारी पुलिस वालो से कहा सुनी हुई थी तब भी हमारे पास यही झोला व बम था तब मै भागने में सफल रहा था। आज मै कही दूर जाने की फिराक मे था कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. प्रेमचन्द्र गौतम पुत्र प्यारेलाल गौतम निवासी पीथापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 89/26 धारा 115(2),352,351(3),132 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 90/26 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

03 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 जावेद अहमद खां मय हमराह उ0नि0 जयकिशुन यादव का0 कैलाश यादव, का0 नीरज पटेल थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में वांछित फरार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 BNSS के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, आज थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा एक बड़ी विधिक कार्रवाई संपन्न की गई।

थाना मांधाता पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 150/2025, धारा 109(1), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 111(2)b BNS के अंतर्गत वांछित अभियुक्त रिजवान पुत्र रियाज (निवासी: रामपुर बन्तरी, थाना मांधाता) लंबे समय से फरार चल रहा था।

विधिक कार्रवाई का विवरण:
उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था, इसके बावजूद अभियुक्त लगातार अपनी उपस्थिति से बच रहा था। थानाध्यक्ष देल्हूपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 08/04/2026 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत उद्घोषणा (Proclamation) जारी करने का आदेश दिया था।

तामीली एवं मुनादी की प्रक्रिया:
आज दिनांक 22/04/2026 को थानाध्यक्ष देल्हूपुर पुलिस टीम के साथ ग्राम बन्तरी में जाकर नियमानुसार निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

चस्पा की कार्यवाही: अभियुक्त रिजवान के घर के सहन/मुख्य दरवाजे, गांव की सरकारी राशन की दुकान, पंचायत भवन और स्थानीय विद्यालय की दीवार पर सार्वजनिक रूप से नोटिस चस्पा किया गया।
मुनादी: गांव के सार्वजनिक स्थानों पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई गई और ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि यदि वांछित अभियुक्त नियत समय के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष समर्पण नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कुर्की (धारा 85 BNSS) की कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पुलिस की अपील:
पुलिस प्रशासन आम जनमानस से अपील करता है कि किसी भी अपराधी को शरण देना अपराध है। फरार अभियुक्त के संबंध में कोई भी जानकारी होने पर तत्काल संबंधित थाने को सूचित करें।

जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार की कड़ी विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

प्रेस नोट दिनांक 22.04.2026
थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म, हत्या का प्रयास, अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत डगमगबीर बाबा नरायणपुर के पास से किया गया गिरफ्तार-।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद सिंह यादव मय हमराह हे0क0 लक्ष्मण यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64 (2) M/61(2)/110/127(2)/137(2)/352/351 (3) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रोहित पाण्डेय उर्फ हलचल पाण्डेय पुत्र आदित्य पाण्डेय निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना करोंदी कला जनपद सुल्तानपुर उम्र 23 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत डगमगबीर बाबा नरायणपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. रोहित पाण्डेय उर्फ हलचल पाण्डेय पुत्र आदित्य पाण्डेय निवासी शहाबुद्दीनपुर थाना करोंदी कला जनपद सुल्तानपुर उम्र 23 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विनोद सिंह यादव मय हमराह हे0क0 लक्ष्मण यादव थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 22.04.2026
थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा कुल 06 वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना मान्धाता के उ0नि0 अलंकार यादव मय हमराह उ0नि0 विनोद सिंह यादव, हे0का0 अनवर हुसैन, का0 नवनीत कुमार, म0का0 प्रीति मिश्रा द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो अधिनियम प्रतापगढ केश न0 121/2019 अ0स0 381/18 धारा 147/435/354 ख/323/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ से संबंधित कुल 06 वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता, 01. अभियुक्त राधेश्याम पटेल पुत्र श्रीराम पटेल उम्र करीब 38 वर्ष, 02. अभियुक्त सन्तलाल पटेल पुत्र श्रीराम पटेल उम्र करीब 51 वर्ष, 03. अभियुक्त दिग्गज पटेल पुत्र रामपाल पटेल उम्र करीब 31 वर्ष, 04. अभियुक्ता आशादेवी पत्नी सन्तलाल पटेल उम्र करीब 40 वर्ष, 05. अभियुक्ता राजकुमारी पत्नी रामपाल पटेल उम्र करीब 50 वर्ष, 06. अभियुक्ता सुषमा देवी पुत्री रामपाल पटेल उम्र करीब 28 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सहिजनपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सहिजनपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. अभियुक्त राधेश्याम पटेल पुत्र श्रीराम पटेल उम्र करीब 38 वर्ष,
02. अभियुक्त सन्तलाल पटेल पुत्र श्रीराम पटेल उम्र करीब 51 वर्ष,
03. अभियुक्त दिग्गज पटेल पुत्र रामपाल पटेल उम्र करीब 31 वर्ष,
04. अभियुक्ता आशादेवी पत्नी सन्तलाल पटेल उम्र करीब 40 वर्ष,
05. अभियुक्ता राजकुमारी पत्नी रामपाल पटेल उम्र करीब 50 वर्ष,
06. अभियुक्ता सुषमा देवी पुत्री रामपाल पटेल उम्र करीब 28 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम सहिजनपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विनोद सिंह यादव, हे0का0 अनवर हुसैन, का0 नवनीत कुमार, म0का0 प्रीति मिश्रा थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।